UPAL010019662026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या –2, अलीगढ़

पीठासीन अधिकारी– राकेश वशिष्ठ, (उच्चतर न्यायिक सेवा) –UP 6270

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–883/2026

यासीन पुत्र अब्दुल्ला निवासी अकराबाद थाना अकराबाद जिला अलीगढ़ स्थायी निवासी ग्राम नदरई थाना कोतवाली नगर जिला कासगंज उ0प्र0।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

मुकदमा अपराध संख्या–287/2025
अन्तर्गत धारा–309(6), 351(3) बी0एन0एस0
थाना–पालीमुकीमपुर, जिला अलीगढ

दिनांक 07.03.2026

यह जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त यासीन की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–287/2025 अन्तर्गत धारा– 309(6), 351(3) बी0एन0एस0 थाना–पालीमुकीमपुर, जिला अलीगढ में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 11.10.2025 की रात्रि 3.00 बजे लगभग वादी अपने घेर पर सो रहा था तभी अचानक 3–4 लोग अज्ञात व्यक्ति घेर में घुस आये वादी को खटपट की आवाज सुनाई दी तो वादी जागा वादी ने उन लोगों से कहा कि आप लोग कौन हैं इतने में उन लोगों ने वादी को पकड कर वादी के साथ लात घूसों से मारापीटा और कहा कि साले तूने आवाज निकाली तो जान से मार देंगे। उसके बाद तीन से चार लोग घेर से वादी की एक भैंस खोलकर ले गये हैं। हमने इधर उधर तलाश की मगर भैंस का कोई पता नहीं चला।

प्रार्थी/अभियुक्त पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त को उक्त प्रकरण में झूॅठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है तथा उक्त मुकदमे की वादी द्वारा अज्ञात में रिपोर्ट दर्ज करायी है। प्रार्थी/अभियुक्त ने न तो कोई चोरी की है न ही कोई चोरी का माल बरामद हुआ है। बरामदगी का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 02.01.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का घोर विरोध किया गया है।

सुना तथा केस डायरी व उपलब्ध प्रपत्रों का सम्यक अवलोकन किया।

उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी/अभियुक्त पर अन्य सहभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी के घेर से भैंस चोरी करने व जान से मारने की धमकी देने का आरोप हैं।

प्रार्थी/अभियुक्त दिनॉक 02–01–2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है। प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है। मामले में आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका हैं। घटना/बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं दर्शाया गया हैं। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रार्थी/अभियुक्त का कोई सजायावी होने का कथन नही किया गया है। इसके अतिरिक्त अभियुक्त के आपराधिक इतिहास का प्रश्न है तो अभियुक्त पर जो मुकदमे दर्ज हैं उसमें अभियुक्त दोषसिद्ध नहीं किया है और न ही आपराधिक इतिहास बेल निरस्त करने का आधार है।

अतः मामले के सम्पूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये मामले के गुण दोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना मेरे विचार से इस स्तर पर अभियुक्त/प्रार्थी को जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत उक्त जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त यासीन द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार उसके द्वारा 20,000/–रूपये का निजी मुचलका व इसी राशि के दो प्रतिभू व इस शर्त के साथ प्रस्तुत करने पर जमानत पर छोड दिया जावे कि–

1. प्रार्थी/अभियुक्त भविष्य में इस प्रकार का अथवा अन्य कोई अपराध कारित नहीं करेगा।
2. मामले की विवेचना में सहयोग करेगा।
3. प्रार्थी/अभियुक्त अभियोजन साक्षीगण को डरायेंगे धमकायेंगे नहीं तथा विचारण न्यायालय में साक्ष्य की तिथियों पर साक्षीगा के न्यायालय में उपस्थित रहने पर साक्षीगण से प्रतिपरीक्षा करेंगे एवं स्थगन की मांग नहीं करेंगे।
4. प्रार्थी/अभियुक्त व जामिनदारान, बन्धपत्रों व प्रतिभू में अपने मोबाईल नम्बर तथा स्थाई व वर्तमान पते अंकित करेंगे एवं पते के सम्बन्ध में दस्तावेज आधार कार्ड आदि की प्रति प्रस्तुत करेंगे। यदि दिये गये पतों व मोबाईल नम्बर में कोई परिवर्तन होता है, तो इसकी सूचना न्यायालय को देंगे तथा यदि अभियुक्त कार्य के लिए स्थान परिवर्तन करते हैं, तो परिवर्तित स्थान की भी सूचना देंगे।
5. प्रार्थी/अभियुक्त विचारण के दौरान आरोप विरचित करने और बयान अं0धारा 313 द0प्र0स0 हेतु नियत तिथि पर बिना विलम्ब किये व्यक्तिगण रूप से उपस्थित आता रहेगा और न्यायालय में प्रस्तुत साक्षियों की प्रतिपरीक्षा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बिना विलम्ब कारित किये अवरोध नहीं किया जा सकेगा। अन्यथा विशेष परिस्थितियों में न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध उत्पीड़क कार्यवाही की जा सकेगी।

कार्यालय अहलमद/लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा SUO MOTO(क्रिमिनल) संख्या–4/2021 में पारित आदेश दिनांकित 31.01.2023 व उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पत्रांक संख्या 448/SLSA–06/2021 दिनांकित 13.02.2023 के सन्दर्भ में आदेश की प्रति सम्बन्धित जेल अधीक्षक कारागार को जरिये ई–मेल इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाए कि आदेश का इन्द्राज e-prison software में करें।

दिनांक–07.03.2026

(राकेश वशिष्ठ)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट संख्या–02, अलीगढ़।
UP 6270

Digitally signed by RAKESH VASHISHT
Date: 2026.03.07 17:05:17 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court